उ0प्र0, पी0ए0सी0, मुख्यालय महानगर, लखनऊ।

फोन +91–522–2337452.
फैक्स +91–522–2337453
मोबाइल +91–9454401172. ईमेल पता–asppacp@uppac.net,वब– uppolice.up.nic.in
पत्रांक–पीएसी–तीन–400(पीएसी मु0 कैन्टीन)–2013/1525 दिनांकः नवम्बर 22, 2013

निविदा

उ0प्र0 पीएसी मुख्यालय,महानगर,लखनऊ के " पीएसी कैन्टीन " को ठेका पर चलाने हेतु मुहरबन्द निविदा अधोहस्ताक्षरित द्वारा आमंत्रित की जाती हैं। कैन्टीन में चाय, काफी,कोल्ड ड्रिंक्स,दूध,मिठाई,नमकीन व जनरल मर्चेन्ट के सामानों इत्यादि की बिक्री की जायेगी।

1– निविदा निर्धारित प्रारूप में ही प्रेषित किया जायेगा जिसका प्रारूप कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में रूपया 100–00 नगद देकर लाइब्रेरियन पीएसी मुख्यालय से प्राप्त किया जा सकता हैं। निविदा दाता द्वारा सीलबन्द लिफाफे के ऊपर अपना नाम,पता तथा " कैन्टीन के लिये टेण्डर " अवश्य लिखा जाय। टेण्डर डालने वाला व्यक्ति यह भी स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि उसको कैन्टीन/खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने का पूर्व का कितना अनुभव प्राप्त हैं।

2– निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 05–12–2013 तक तथा मुहरबन्द निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 10–12–2013 की सायं 3.00 बजे तक होगी तथा मुहरबन्द निविदा दिनांक 10–12–2013 को सायं 4.00 बजे पुलिस उपाधीक्षक/स्टाफ आफीसर, पीएसी मुख्यालय,उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निविदा दाता तथा समिति के समक्ष खोली जायेंगी। समस्त निविदा दाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रहेंगे।

3– प्रत्येक निविदा दाता के द्वारा निविदा के साथ रूपये 500–00 की धनराशि अर्नेस्ट मनी के रूप में एफ0डी0आर0 अथवा सी0डी0आर0 पुलिस महानिरीक्षक,पीएसी मुख्यालय के पद नाम से बन्धक कराकर जमा करना होगा।

4– निविदादाता प्रत्येक खाद्य व पेय सामग्री का भार/मात्रा सहित मूल्य की सूची संलग्न करेगा।

5– निविदा स्वीकृत हो जाने पर जमानत के रूप में रूपया 5000–00(रूपया पाँच हजार मात्र) की धनराशि का एफ0डी0आर0 अथवा सी0डी0आर0 पुलिस महानिरीक्षक,पीएसी मुख्यालय के पद नाम से बन्धक करवाकर,अनुबन्ध–पत्र(एग्रीमेन्ट) रूपया 100–00 नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

6– पुलिस महानिरीक्षक,पीएसी मुख्यालय को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह कोई भी निविदा स्वीकार कर सकते हैं। अस्वीकृत की गई निविदा के लिये पीएसी मुख्यालय कोई कारण बताने के लिये बाध्य नहीं होगा।

7– यदि निविदा स्वीकृति के बाद सम्बन्धित व्यक्ति निर्धारित अवधि के अन्दर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) नहीं भरता है अथवा जमानत की धनराशि नहीं जमा करता है तो उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुये दूसरे व्यक्ति की निविदा,स्वीकृत की जा सकती हैं यह पुलिस महानिरीक्षक,पीएसी,मुख्यालय,उ0प्र0 लखनऊ के विवेक पर निर्भर करेगा।

निविदा की शर्तें

1– सेन्ट्रल एमिनिटीज फण्ड में निश्चित माहवारी रिबेट देने की धनराशि साथ–साथ अंकित की जाय।

D:RAJESH-2012\Rajesh-2013.doc

16— ठेकेदार खाद्य–पदार्थ साफ बर्तनों में उपलब्ध करायेगा तथा टूट–फूट बर्तन व गंदगी परिलक्षित नहीं होनी चाहिये।

17— ठेकेदार कैन्टीन/जलपान गृह का ठेका किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता हैं।

18— ठेकेदार यदि अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है,सड़ी–गली वस्तु बेचता है,पर्याप्त सफाई नहीं रखता है, अधिक रेट पर सामान बेचने की शिकायत मिलने पर पीएसी मुख्यालय के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो पुलिस महानिरीक्षक,पीएसी मुख्यालय को ठेकेदार पर रूपया 100–00 तक जुर्माना हर समय में करने का अधिकार होगा।

19— यह ठेका 01 वर्ष के लिये होगा और पुलिस महानिरीक्षक,पीएसी मुख्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये ही ठेका किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा।

23.11.13

(ओ0पी0 मिश्रा)
पुलिस उपाधीक्षक/स्टाफ आफीसर,
पीएसी,मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ।
2— समस्त पुलिस महानिरीक्षक,पीएसी जोन्स,उ0प्र0।
3— समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक,पीएसी अनुभागीय,उ0प्र0।
4— सेनानायक 35/32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ।
5— पुलिस उपमहानिरीक्षक,लखनऊ रेंज,लखनऊ।
6— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,लखनऊ।
7— पुलिस अधीक्षक,बाराबंकी/उन्नाव/रायबरेली/सीतापुर/हरदोई।
8— सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,लखनऊ।
9— मेसर्स मुरारी पारिक,द्वारा श्री महपाल सिंह,मकान न0–8/1027 विशाल खण्ड, गोमतीनगर,लखनऊ।
10— मेसर्स घीसा राम, केन्टीन ठेकेदार,35वीं वाहिनी पीएसी,लखनऊ।
11— मेसर्स एस0आई0डी0 कैटरिंग सर्विसेज,के0आफ0 श्री आर0सी0 पाण्डेय,सी–341, सेक्टर–बी,महानगर,लखनऊ।
12— मेसर्स भोलानाथ,घनश्याम दास,डालीगंज,लखनऊ।
13— मेसर्स निरंजन कुमार अग्रवाल,जनरल मर्चेन्ट,अर्जुनगंज,लखनऊ।
14— मेसर्स बी0एस0मित्तल,द्वारा कैलाश नाथ मितलल,रेलवे कन्ट्रैक्टर,लखनऊ।
15— मेसर्स शारदा प्रसाद सिंह,सेक्टर–जी,म0न0 1208,पन्त नगर,खुर्रमनगर,लखनऊ।
16— निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस निविदा को प्रान्तीय/स्थानीय स्तर पर हिन्दी/अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

D:\RAJESH-2012\Rajesh-2013.doc

2— ठेकेदार को निम्नलिखित शर्तो पर आधारित एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा। इस लिये वही व्यक्ति निविदा प्रेषित करे जिसको यह शर्तें स्वीकार हों। रिबेट के अतिरिक्त ठेकेदार को निम्न चार्जेज देने होंगे।

भवन चार्जेज रुपया 500/— प्रतिमाह
पानी चार्जेज रुपया 50/— प्रतिमाह
स्वीपर चार्जेज रुपया 50/— प्रतिमाह
बिजली चार्जेज मीटर रीडिंग के अनुसार

3— ठेकेदार कैन्टीन में अथवा उसके आसपास किसी प्रकार का निर्माण अथवा परिवर्तन पुलिस महानिरीक्षक,पीएसी मुख्यालय की अनुमति के बिना नहीं करायेगा।

4— पुलिस महानिरीक्षक,पीएसी मुख्यालय के अनुमोदन पर ठेकेदार कैन्टीन में स्वच्छता,सजावट,नया सामान तथा बैठने आदि से सम्बन्धित आवश्यक प्रबन्ध के लिये बाध्य होगा।

5— यह स्पष्ट किया जाता हे कि इस कैन्टीन का ध्येय पीएसी कर्मचारियों को एक अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करानी है न कि धनोपार्जन । अतः ठेकेदार पीएसी के प्रत्येक कर्मचारी जो कैन्टीन में आते है, को बाहरी व्यक्तियों की अपेक्षा प्राथमिकता देगा तथा अच्छे स्तर के खाद्य पदार्थ निर्धारित रेट, जो कि बाजार से कम होंगे तथा पीएसी मुख्यालय के समक्ष अधिकारी से पूर्व अनुमोदित करा लिये जायेंगे, पर उपलबध करायेगा।

6— कैन्टीन का कोई भी खाद्य पदार्थ आदि किसी भी स्थिति में पूर्व अनुमोदित मूल्य से अधिक रेट पर नहीं बेचा जायेगा।

7— पुलिस महानिरीक्षक,पीएसी मुख्यालय पीएसी कर्मियों के लिये आवश्यकतानुसार समय—समय पर खाद्य पदार्थो के भाव पास किया करेंगे व उन्हीं के हस्ताक्षर या उनके द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थों के भावों की सूची हस्ताक्षर कर कैन्टीन में टांगी जायेगी। इसे मानने के लिये ठेकेदार बाध्य होगा ।

8— पीएसी मुख्यालय किसी भी अधिकारी/कर्मचारी पर किसी प्रकार के उधार की अदायगी के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

9— कैन्टीन में कोई नशीली वस्तु,तस्करी का सामान, अथवा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक कोई वस्तु या पेय/खाद्य सामग्री नहीं बेची जायेगी।

10— कैन्टीन के लिये कोई राशन इत्यादि पीएसी मुख्यालय द्वारा नहीं प्रदान किया जायेगा।

11— पीएसी मुख्यालय द्वारा कैन्टीन के लिये उपलब्ध कराये जा रहे कुछ फर्नीचर,पंखें,वाटर कूलर इत्यादि सामान के अच्छे रख—रखाव के लिये भी ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

12— कैन्टीन में कोई रोगग्रस्त नौकर नहीं रखा जायेगा।

13— दैनिक खान—पान की वस्तुयें अत्यन्त सफाई के साथ ढककर पर्याप्त मात्रा में कैन्टीन में उपलब्ध रखी जायेगी।

14— कैन्टीन खुला होने पर किसी भी समय कोई भी पीएसी मुख्यालय का राजपत्रित अधिकारी बिना पूर्व सूचना दिये कैन्टीन का निरीक्षण कर सकता हैं।

15— ठेकेदार के लिये अनिवार्य होगा कि वह वस्तुओं के मूल्यों से सम्बन्धित सूची ऐसे स्थान पर लटकाये जहॉ सभी लोग आसानी से देख सकें। पीएसी कर्मियों के लिये मूल्य अलग से निर्धारित होगा, जो कि पुलिस महानिरीक्षक,पीएसी मुख्यालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा। बाहरी व्यक्तियों के लिये ठेकेदार अपनी इच्छानुसार मूल्य अलग से निर्धारित कर सकता हैं।